International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)
Volume 7 Issue 2, March-April 2023 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470

खादी-ग्रामोद्योग : अर्थ, स्वरूप एवं महत्व

Dhanwanti Bishnoi

Associate Professor, Department of GPEM, Govt. M.S. College for Women, Bikaner, Rajasthan, India

शोध सारांश

वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य खादी-ग्रामोद्योग के माध्यम से अधिकतम श्रम व्यवस्थापन को संभव बनाने एवं अधिक से अधिक लोगों के आर्थिक स्तर में परिणामीन परिवर्तन लाने की दृष्टि से खादी-ग्रामोद्योग की भारतीय संदर्भ में कालातीत उपयोगिता एवं प्रासांगिकता का तथ्यात्मक परीक्षण करते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्वावलम्बन पूर्ण आर्थिक अभ्यास्तनों की स्थापना सम्बन्धी परमोच्य आवश्यकता का प्रतिपादन करना है।

"राष्ट्र की गौरव पताका है खादी, राष्ट्र की अस्मिता है खादी। दारिद्रय के निवारण का मंत्र है- खादी, जन-जन के मोक्ष का तंत्र है खादी।" इन आप्त वचनों में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत की आर्थिक दिशा के सन्दर्भ में महात्मा गांधी के आर्थिक दृष्टिकोण का दर्शन होता है। भारत की कुल श्रम क्षमता का बहुतांश ग्रामों में संकेंद्रित है। आर्थिक विकास के संकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण श्रम क्षमता का योजनाबद्ध ढंग से व्यवस्थापन किया जाना आवश्यक है। ग्रामोद्योग इस सन्दर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हो सकता है।

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए भारतीय समाज सुधारकों, आर्थिक चिंतकों एवं राजनेताओं ने वर्तमान शताब्दी के दूसरे दशक के बाद से ही खादी के साथ-साथ अन्य ग्रामीणों प्रयोगों को योजनाबद्ध ढंग से विकसित किए जाने तथा उन्हें सतह प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

संकेताक्षर **:** *लोकतान्त्रिक, आर्थिक, अर्थव्यवस्था, स्वावलम्बन, गांधीवादी।*

How to cite this paper: Dhanwanti Bishnoi "Khadi-Village Industry: Meaning, Nature and Importance" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-7 | Issue-2, April 2023, pp.1242-1245, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd56281.pdf

IJTSRD56281

Copyright © 2023 by author (s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

प्रस्तावना :-

आधुनिक औद्योगिककरण से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य संबंधी विसंगतियों तथा दोषों का हल परंपरागत ग्रामीण उद्योगों के विकास में सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता है। कतिपय समीक्षकों का मत है कि आधुनिक यंत्र, तकनीक तथा ऊर्जा के स्रोतों पर आधारित उद्योगों के एक निश्चित कालावधि पश्चात क्रियाबाहय हो जाने का भय बना रहता है, परंतु ग्रामोद्योग की मूल प्रकृति चिरंतनता के आदर्श पर संकेंद्रित रहती है। यही कारण है कि भारत के आर्थिक विकास के संदर्भ में परंपरागत ग्रामोद्योग आज भी पूर्ववत् महत्वपूर्ण माना जाता है।

खादी एवं ग्रामोद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारकों ने तत्कालीन विष्व में प्रचलित स्वेच्छातंत्रवादी पूंजीवाद तथा नियंत्रित साम्यवाद पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं को भारत के लिए अनुपयुक्त ठहराते हुए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को समूर्त रूप प्रदान करने का निश्चय किया। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी तथा साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओं के लोक पोषक गुणों को देश की परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तित कर उनसे सम्यक का लाभ प्राप्त करने की व्यवस्था की गई तथा इसके साथ ही उक्त आर्थिक व्यवस्थाओं के दुर्गुणों से देश को बचाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त संसाधनों का युक्ति-युक्त ढंग से व्यवस्थापन करने, रोजगार के अधिकाधिक अवसर उत्पन्न करने, आर्थिक असमानता को दूर करने एवं सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास संबंधी आयोजनों के लाभों से सीधे जोड़ने तथा ऐसा करते हुए समग्र राष्ट्र को सर्वगुण आर्थिक विकास के मार्ग पर निर्बाध रूप से ले चलने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया और इसकी संप्राप्ति हेतु सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के साथ-साथ सहकारी क्षेत्र में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक माना गया। मूलभूत आवश्यक वस्तु उत्पादन तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्माणों के लिए एक ओर जहां भारी पूंजी निवेश द्वारा

सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत विशालतम औद्योगिक इकाइयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई। वहीं दूसरी ओर, भिन्न-भिन्न प्रकार की उपभोक्तावादी वस्तुओं के उत्पादक उद्योगों का विकास निजी एवं सहकारी क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाना समवेत रूप से स्वीकार किया गया।

उल्लेखनीय है कि इस अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में सहकारिता को विशेष अर्हमन्यता प्रदान किए जाने की संस्तुति आर्थिक विचारकों एवं योजनाकारों द्वारा की गई। सहकारी श्रेणी के लिए अनेक क्षेत्र सुनिश्चित किए गए। श्रम आधारित उद्योग प्रवर्तन में सहकारी क्षेत्र को विशेष रूप से प्रोत्साहित किए जाने

की अनुशंसा की गई। आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने, आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानता को समाप्त करने तथा रोजगार के विपुल अवसर निर्माण कर अधिकाधिक जनों के हितवर्धन को सुलभ बनाने आदि अनेक दृष्टियों से विकास संबंधी औद्योगिक कार्यक्रमों के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र को विशेष प्रभावकारी माना गया।

समस्त उत्पादक इकाइयों को सामान्यतः 'संगठित' अथवा 'असंगठित' श्रेणी क्रम में रखा जाता है। सहकारी क्षेत्र द्वारा संचालित अनेक उपक्रम इन श्रेणी क्रमों के अंतर्गत आते हैं, परंतु खादी-ग्रामोद्योग की प्रकृति निजी अथवा सहकारी होते हुए भी उपर्युक्त श्रेणी क्रम से यथेष्ट भिन्नता रखती है।

वस्तुतः इसका विकास सामाजिक-आर्थिक पुनरुत्थान संबंधी गांधीवादी आध्यात्मिक परिवेश में एक मिसाल के रूप में हुआ है अर्थात आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़े हुए वर्ग के ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करते हुए उनकी आजीविका का प्रबंध करना। इसे विष्व कल्याणकारी माना गया है, निसंदेह यह पारंपरिक होते हुए भी आधुनिक है। 'खादी-ग्रामोद्योग का जीवन दर्शन विकेंद्रित उत्पादन प्रणाली और विवेकपूर्ण उपभोग के शाष्वत और अति प्रासंगिक तत्वों पर आधारित है', यह इसकी दीर्घकालीन भावी प्रासंगिकता का समपोषक आधार है।

ऐतिहासिक दृष्टि से खादी एवं ग्रामोद्योग आंदोलन स्वाधीनता आंदोलन के समानांतर चलता रहा। इसे स्वाधीन भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ कर अन्य अनुवर्ती योजनाओं में इसे उत्तरोत्तर अधिक महत्व दिया जाता रहा है। वित्त, कच्चा माल, विद्युत, तकनीक, विपणन, परिवहन, बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा एवं कुशल प्रबंधकों का अभाव आदि समस्याओं से ग्रसित होते हुए भी इन उद्योगों ने अपने अस्तित्व और औचित्य दोनों को सिद्ध किया है।

परंपरागत ग्रामीण शिल्प एवं कला को उत्पादक क्रियाओं द्वारा प्रत्यक्ष जोड़ने का अवसर सुलभ कराना, ग्रामीणों के अवकाश के चरणों को आर्थिक उत्पादक उपयोग की ओर उन्मुख करना और ऐसा करते हुए उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर कराना, स्वदेशी संस्थानों के उपयोग द्वारा स्वदेशी उत्पादनों में निरंतर क्रम से वृद्धि करना और इन सभी कार्यों को पूर्ण करते हुए राष्ट्रीय आर्थिक विकास को व्यापक एवं सुदृढ़ आधार भूमि प्रदान करना, इन सब कल्पनाओं के साथ वस्तुतः महात्मा गांधी ने खादी-ग्रामोद्योग को एक आर्थिक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया।

उल्लेखनीय है कि गांधीजी ने जिन परिस्थितियों एवं कारणों से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में खादी-ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन किए जाने की आवश्यकता अनुभव की थी, वह आज भी यथावत रूप में विद्यमान है। वर्तमान आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत खादी-ग्रामोद्योग की प्रासंगिकता और उपादेयता का इसे प्रतिपादक आधार माना जा सकता है। कृषि के साथ एक सहायक आर्थिक आयोजन के रूप में खादी को अपनाया जा सकता है। विज्ञान एवं तर्क पर आधारित तथा अहिंसा के अष्व पर सवार शोषण के स्थान पर पारस्परिक पोषण के हिमायती के रूप में खादी-ग्रामोद्योग की संकल्पना की गई है।

खादी : अर्थ एवं स्वरूप

खादी का अर्थ है- भारत में कपास, रेशम, या उनके साथ कते सूत और इनमें से दो या सभी प्रकार के सूत के मिश्रण से हाथ करघा पर बुना गया कोई वस्त्र। वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में पोलिस्टर धागों का समावेश कर

लिए जाने के कारण अब खादी की परिधि में पॉली खादी को भी सम्मिलित कर लिया गया है। खादी के उत्पादन अथवा निर्माण में 'हाथ' अथवा 'श्रम' का महत्व सर्वोपरि है।

खादी आंदोलन के आरंभिक दौर में तकली और चरखा ही सूत काटने और ओटने के महत्वपूर्ण उपकरण रहे हैं। किंतु अपनी लंबी यात्रा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान के फलस्वरुप अंबर चरखा एवं विधायन प्रोसेसिंग प्रक्रिया हाथचलित तो कुछेक यंत्रों का उपयोग होने लगा है। खादी वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में कपास की धुनाई, पोनी बनाना, सूत कातना, ओटना, माड लगाना एवं ताना-बाना भरना आदि कार्य सम्मिलित हैं। रंगसाजी एक अलग प्रक्रिया है इसके प्रभाव में भी खादी, खादी ही रहती है।

उपर्युक्त भौतिक अर्थ से हटकर खादी वस्तुतः एक वैचारिक अवधारणा है। खादी के माध्यम से देश की आर्थिक आजादी का स्वप्न देखा गया था। नेहरू के शब्दों में "खादी आजादी की वर्दी" है। खादी आंदोलन का एक उद्देश्य ग्रामीण जनों, विशेषकर महिलाओं को घर बैठे काम उपलब्ध कराना रहा है। आज खादी नियोजित अर्थव्यवस्था का गौरवपूर्ण अध्याय है।

ग्रामोद्योग : अर्थ एवं स्वरूप

खादी की तुलना में ग्रामोद्योगों की परिधि अधिव्यापक है। खादी के सहायक एवं पूर्व के रूप में उसका अलग ही महत्व है। वस्तुतः गांव अथवा कस्बों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में इन ग्रामोद्योगों का महत्व अधिक है। 'ग्राम स्वराज्य' का गांधीवादी चिंतन ग्रामोद्योगों के विकास से ही वास्तविक स्वरूप को धारण कर सकता है।

स्थानीय संसाधनों एवं सामग्रियों का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित एवं संचालित सभी उद्योगों को ग्रामोद्योग कहा जा सकता है। सीमित साधनों एवं कुछ विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में ग्रामीणों द्वारा स्थापित, ग्रामीणों के लिए संचालित यह गांव के ही उद्योग होते हैं। आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण, मुंबई के अनुसार "वे उद्योग ग्रामोद्योग हैं जिनमें 'शक्ति' का उपयोग नहीं होता तथा उनका उत्पादन सामान्यतः घर पर ही किया जा सकता है।" भारतीय औद्योगिक समिति की धारणा भी इससे मिलती-जुलती है। इसके अनुसार "ग्रामोद्योग वह उद्योग है जो श्रमिकों के घर पर चलाए जाते हैं और जहां उत्पादन का क्षेत्र लघु और संगठन न्यूनतम होता है।" राजकोषीय आयोग 1948-50 के अनुसार, "वे समस्त उद्योग जो पूर्णतः अथवा अशंतः कारीगर के परिवार की सहायता से पूर्णकालीन अथवा अंशकालिक रूप से चलाए जा सकते हैं, ग्रामोद्योग की परिधि में आते हैं।"

खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 2006 के अनुसार 'ग्रामीण क्षेत्र' का आशय है, कोई भी गांव में आने वाला क्षेत्र और ऐसा कस्बा भी शामिल है जिसकी आबादी (बीस हजार) अथवा समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी आंकड़े से अधिक न हो। ग्रामोद्योग का आशय है-"ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई भी उद्योग जो विद्युत के उपयोग से अथवा इसके बिना किसी वस्तु को उत्पादन करता हो अथवा सेवा प्रदान करता हो

और जिसमें एक कारीगर अथवा एक कार्यकर्ता के ऊपर प्रतिशीर्ष निवेश (एक लाख)/पहाड़ी क्षेत्र में स्थित किसी भी उद्योग के मामले में ''एक लाख रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''एक लाख पचास हजार रुपए अथवा भारत सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट राजपत्र में अधिसूचित कोई भी अन्य रकम से अधिक न हो। और किसी भी ग्रामोद्योग के संवर्धन, रखरखाव, सहायता, सेवा प्रदान करने (मूल इकाइयों सहित) अथवा प्रबंधन के एक मात्र उद्देश्य के लिए स्थापित कोई अन्य गैर उत्पादक इकाई।"

अनुसूची में विनिर्दिष्ट और खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधित) अधिनियम 1987 की शुरुआत से पूर्व किसी भी समय ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में स्थित और ग्रामीण के रूप में चिह्नित कोई भी उद्योग इस अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामोद्योग, ही रहेगा, चाहे उपखण्ड में कुछ भी लिखा हो।

संक्षेप में ग्रामोद्योगों की पहचान निम्नलिखित बिंदुओं से सुनिश्चित की जा सकती है-

1. स्थानीय संसाधनों का उपयोग,
2. ऊर्जा का सीमित उपयोग,
3. हाथ' अथवा 'श्रम' का महत्व अधिक,
4. परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित,
5. पूर्ण कालीन अथवा अंश कालिक व्यवसाय के रूप में संचालित होते हैं।

इस प्रकार ग्रामोद्योगों में सामान्यतः परंपरागत विधियों का उपयोग होता है तथा बाजार ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित रहता है।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अनुसार 'ग्रामोद्योग का अर्थ है- "ग्रामीण क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10000 से अधिक न हो, में स्थापित कोई उद्योग जो बिजली का इस्तेमाल करके या बिना इस्तेमाल किए कोई वस्तु उत्पादित करता हो जिसमें स्थिर पूंजी निवेश, संयंत्र, मशीन, भूमि और भवन में प्रति कारीगर या कार्यकर्ता 15,000 से अधिक न हो।"

खादी-ग्रामोद्योग आयोग की परिधि के अंतर्गत खादी के अतिरिक्त कई अन्य ग्रामोद्योगों का समावेश किया गया है जिनके विकास हेतु आयोग अपने द्वारा निर्मित आर्थिक तथा अन्य नियमों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से आर्थिक और अन्य सहायता इसके द्वारा पूर्व घोषित अधिकरणों, परंपरागत कारीगरों, व्यक्तिगत उद्यमियों आदि को उपलब्ध कराती है। खादी एवं ग्रामोद्योगो के विकास हेतु आयोग द्वारा आर्थिक सहायता व नियमों के अधीन विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता घोषित नीति रियासतें संस्था, सहकारी समितियों, परंपरागत कारीगरों, उद्यमियों को उपलब्ध कराई जाती है।

खादी एवं ग्रामोद्योग : स्वतंत्रता से पूर्व स्थिति

आज खादी एवं ग्रामोद्योग का आकाश सुविस्तृत प्रतीत होता है। किंतु इसे भी दांत के दर्द के दौरे से गुजरना पड़ा है। 1920 से 1947 तक का कालखंड खादी आंदोलन का प्रारंभिक दौर रहा है। 1947 के पश्चात विशेषकर 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना से यह भारत के नियोजित अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बन चुका है।

गांधीजी स्वदेशी भावना को जागृत करने के लिए खादी को एक अहम उपकरण तथा राजनीतिक शस्त्र मानते थे। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, विशेषकर विदेशी वस्त्रों की होली को अत्यधिक प्रभावी बनाने में खादी उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संपूर्ण देश में खादी के प्रभावी प्रचार-प्रसार तथा निर्माण की दृष्टि से तथा उसके विकास एवं उन्नयन के उद्देश्य से दिसंबर 1923 में गांधी जी ने देश के सभी प्रांतों में 'अखिल भारतीय खादी बोर्ड' की स्थापना की। यह संगठन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का एक अनुशांगिक अंग था। वह उसी के संरक्षण एवं निर्देशन में कार्य करता था। यह पहला चरण 1918 से 1924 तक कार्यशील रहा।

द्वितीय चरण का प्रारंभ 1925 में स्वशासी संगठन के रूप में 'अखिल भारतीय चरखा संघ' की स्थापना के साथ हुआ। यद्यपि अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता संघ के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका संपन्न कर रहे थे, तथापि संगठनात्मक दृष्टि से यह कांग्रेस से पृथक एवं स्वतंत्र इकाई थी।

चतुर्थ दशक में गांधी जी ने अपना ध्यान विशेष रूप से ग्रामोद्योगों की ओर केंद्रित किया। परिणामस्वरूप सन् 1935 में 'अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ' नाम से एक अन्य संगठन का जन्म हुआ। खादी को एक शासकीय कार्यक्रम के रूप में मूर्त-स्वरूप प्रदान करने का आरंभिक प्रयास सर्वप्रथम मद्रास राज्य सरकार द्वारा 1946 में प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात केंद्रीय सरकार द्वारा प्रभाव में लाई गई सन् 1948 की औद्योगिक नीति में ग्रामोद्योगों की स्थापना तथा इनको हर दृष्टि से प्रोत्साहित किए जाने का प्रावधान रखा गया। वस्तुतः खादी-ग्रामोद्योग को इसके बाद से विशेष महत्व प्राप्त हुआ।

खादी एवं ग्रामोद्योग : स्वतंत्रता के पश्चात स्थिति

गांधीजी के उक्त विचारों से प्रेरित होकर अगस्त 1947 में आजादी मिलने के बाद जनता का जीवन स्तर

ऊंचा उठाने के लिए देश में योजनाबद्ध विकास का मार्ग अपनाया गया। इसी संबंध में खादी तथा ग्रामोद्योग को एक विकासगामी अनिवार्य आर्थिक आयोजन के रूप में सभी अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में समाविष्ट किया गया। इस तरह राष्ट्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खादी-ग्रामोद्योग को निजी स्वायत्तशासी अथवा सहकारी संस्था के रूप में शासकीय अनुदान एवं बहुआयामी सहायता से आत्मविष्वास का अवसर प्राप्त हुआ।

उक्त प्रयासों के कारण केंद्र सरकार द्वारा प्रभाव में लाई गई सन् 1948 की औद्योगिक नीति में ग्रामोद्योगों की स्थापना तथा इन्हें हर दृष्टि से प्रोत्साहित किए जाने का प्रावधान रखा गया। वस्तुतः खादी-ग्रामोद्योग को इसके बाद से विशेष महत्व प्राप्त हुआ। वर्ष 1950 में आर्थिक नियोजन प्रक्रिया अपनाए जाने से स्थिति में तेजी से परिवर्तन आया। व्यापारिक खादी का उत्पादन प्रचुर मात्रा में ब्याज रहित ऋण, उत्पादन बिक्री छूट, प्रशासकीय, पर्यवेक्षीय तथा तकनीकी व्यवस्था हेतु अनुदान के प्रावधान के चलते, तेज गति से बढा। व्यापारिक खादी उत्पादन में वृद्धि मुख्यतः प्रगतिशील उत्पादन तकनीक के निरंतर विकास के कारण हुआ।

डॉ. जे. सी. कुमारप्पा के नेतृत्व में गठित कृषि सुधार समिति ने भी 1951 में खादी व ग्रामोद्योगों को नीतिगत सहयोग प्रदान करने की सिफारिश की। कृषि के साथ एक सहायक आर्थिक आयोजन के रूप में खादी को अपनाया गया। पारस्परिक पोषण के हिमायती के रूप में खादी-ग्रामोद्योग की संकल्पना की गई।

इसी को दोहराते हुए वर्ष 1956 में घोषित औद्योगिक नीति में कहा गया कि "भारत सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए कुटीर, ग्रामीण तथा लघु स्तरीय उद्योगों की भूमिका पर बल देगी।" इसी प्रकार जुलाई 1980 में घोषित औद्योगिक नीति के वक्तव्य में कहा गया कि, "सरकार देश में इस प्रकार के औद्योगिक विकास करने के लिए कृत संकल्प है, जो गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत बना सके एवं जो पर्यावरणीय संतुलन के अनुकूल हो। इसके अलावा जिससे गांवों में बड़े स्तर पर रोजगाओं का सृजन एवं इसके माध्यम से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो और इस रूप में गांवों की विकास की गति को तेज करने के लिए खादी एवं अन्य ग्रामोद्योगों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।" इसी वक्तव्य को जुलाई 1995 में घोषित औद्योगिक नीति में भी दोहराया गया।

इस प्रकार स्वाधीन भारत में खादी एवं ग्रामोद्योग को नियोजित अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ कर तैरहवीं पंचवर्षीय योजनाओं तक एवं इसके अलावा वर्तमान में लागू विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों में इसे उत्तरोत्तर रूप से अधिक महत्व दिया जाता रहा है।

निष्कर्ष - भारतीय समाज सुधारकों, आर्थिक चिंतकों एवं राजनेताओं ने वर्तमान शताब्दी के दूसरे दशक के बाद से ही खादी के साथ-साथ अन्य ग्रामीणों प्रयोगों को योजनाबद्ध ढंग से विकसित किए जाने तथा उन्हें सतह प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। ऐतिहासिक दृष्टि से खादी एवं ग्रामोद्योग आंदोलन स्वाधीनता आंदोलन के समानांतर चलता रहा। इसे स्वाधीन भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ कर अन्य अनुवर्ती योजनाओं में इसे उत्तरोत्तर अधिक महत्व दिया जाता रहा है। स्वाधीन भारत में खादी एवं ग्रामोद्योग को नियोजित अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ कर तैरहवीं पंचवर्षीय योजनाओं तक एवं इसके अलावा वर्तमान में लागू विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों में इसे उत्तरोत्तर रूप से अधिक महत्व दिया जाता रहा है।

इस प्रकार 1947 के पश्चात खादी तथा ग्रामोद्योग को एक विकासगामी अनिवार्य आर्थिक आयोजन के रूप में सभी अनुवर्तीय पंचवर्षीय योजनाओं में समाविष्ट किया गया। इस तरह राष्ट्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग को निजी स्वायत्तशासी अथवा सहकारी संस्था के रूप में शासकीय अनुदान एवं बहुआयामी सहायता से आत्मविष्वास का अवसर प्राप्त हुआ है।

संदर्भ सूची सूची -

[1] पाटनी, आर.एल. (1976) भारतीय उद्योगों का संगठन, प्रबंध व वित्त, गोयल पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ, पृ. 39

[2] सोनी, आर.एन. (2014) कृषि अर्थशास्त्र के मुख्य विषय, विशाल पब्लिकेशन कम्पनी, नई दिल्ली, पृ. 27

[3] राजस्थान पत्रिका, जयपुर संस्करण, 05 सितम्बर 2021

[4] जागृति, (मार्च 2022) खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ग्रामीण औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई, पृ. 51

[5] मिश्र, जगदीश नारायण (2015) भारतीय अर्थव्यवस्था, संशोधित संस्करण, किताब महल, इलाहाबाद, पृ. 43

[6] पाण्डेय, श्यामकृष्ण (2008) भारतीय छात्र आन्दोलन का इतिहास, जवाहर पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ. 12

[7] राय, अग्रवाल, पारसनाथ, लक्ष्मीनारायण (2003) अनुसंधान परिचय, साहित्य भवन, आगरा, पृ. 59

[8] शुक्ला,.एम. बी. (1997) भारत में लोक उपक्रम, साहित्य भवन, आगरा, पृ. 37

[9] गुप्ता, डॉ. एस. सी. (2015) आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था, श्री पब्लिशर्स, परिवर्धित एवं पुनर्मुद्रित संस्करण, जयपुर, पृ. 25

[10] पांडेय, प्र. कु. (2000) गाँधी का आर्थिक एवं सामाजिक चिंतन, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशलय, दिल्ली विश्विद्यालय, नई दिल्ली, पृ. 21

[11] गोंसाल्विस, पीटर (2019) खादीः गाँधी की क्रांति का महाप्रतीक, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 17

[12] दैनिक भास्कर, जयपुर संस्करण, 16 अप्रैल 2022, पृ. 11

[13] मुखर्जी, आर. एन. (2017) सामाजिक सर्वेक्षण एवं शोध प्रविधि विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 10

[14] कुलकर्णी, सुमित्रा (2021) चरखे की खोज, परिवर्धित संस्करण, सस्ता साहित्य मंडल नई दिल्ली, पृ. 17

[15] खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र : अपार संभावनाएँ और कुछ ठोस कदम (2015) दीनदयाल शोध संस्थान, नई दिल्ली, पृ. 19

[16] गर्ग, आर.बी. (1987) इकोनॉमिक्स ऑफ खद्दर, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, पृ. 9

[17] भंडारी, लता., (2011) खादी ग्रामोद्योग : समग्र विकास का आधार, खादी ग्रामोद्योग सघन विकास समिति, बस्सी, जयपुर, पृ. 24

[18] कोठारी, आर. सी. (1998) शोध प्रविधि, एमचंद एंड कंपनी, नई दिल्ली, पृ. 22

[19] सुधा, जी.एस. (2017) व्यापारिक उद्यमिता का विकास रमेश बुक डिपो, जयपुर, पृ. 69

[20] राजस्थान पत्रिका, जयपुर संस्करण, 09 अप्रैल 2022

[21] गुप्ता, के.एल. (2017) विकास व नियोजन का अर्थशास्त्र, साहित्य भवन, आगरा, पृ. 69

[22] प्रसाद, अवंतिका (1994) खादी तकनीक, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 95

[23] गाँधी, मो. क. (1957) खादी क्यों और कैसे, (कुमारप्पा, संपा.), अहमदाबाद, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, पृ. 11

[24] रामगुंडम (2022) क्लोदिंग फॉर लिबरेशन-ए कम्युनिकेशन एनालिसिस ऑफ गांधीज स्वदेशी रेवल्यूशन, सेज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, पृ. 47